लोक शिक्षण संचालनालय

ब्लॉक – "C" इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर छत्तीसगढ़
ई–मेल schoolscholarship717@gmail.com दूरभाष नं 0771– 2511192 फैक्स 0771–24445215

मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना 2017–18

–सूचना पत्र–

ज्ञापन क्रं/ /छात्रवृत्ति/मु.मं.ज्ञा.प्रो.यो./2017–18:– एतद् द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, हाई व हायर सेकेण्डरी शालाओं के प्राचार्यों व सत्र 2016–17 में कक्षा 10वी व 12वी की मेरिट सूची में आये छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) तथा काउंसील फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्सामिनेशन (ICSE) के ST/SC वर्ग के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, कि–

मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत छ.ग. के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग से स्थायी जाति प्रमाण पत्र रखने व छ.ग. के मूल निवासी परिवारों के CGBSE/CBSE/ICSE बोर्ड के कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा में मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले तथा शाला/ महाविद्यालयीन संस्था में अध्ययनरत SC के कुल 300 व ST के कुल 700 इस प्रकार राज्य में कुल 1000 विद्यार्थियों को सतत् उत्कृष्ठ परीक्षा परिणाम देने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक मुश्त राशि रू 15000/– (रू पंद्रह हजार मात्र) से प्रोत्साहित किया जाता है। बोर्डवार प्रोत्साहित किये जाने वाले विद्यार्थियों का मेरिट सूची का लक्ष्य इस प्रकार है –

क्रं	वर्ग	CGBSE		CBSE		ICSE		योग		महायोग
		10वी	12वी	10वी	12वी	10वी	12वी	10वी	12वी	
1	ST	336	336	07	07	07	07	350	350	700
2	SC	144	144	03	03	03	03	150	150	300
योग		480	480	10	10	10	10	500	500	1000

पूर्व वर्षों में देखा गया है, कि उपरोक्तानुसार लक्ष्य की सीमा में मेरिट में आये विद्यार्थी छ.ग. के मूल निवासी न होने, उनके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र न होने तथा महाविद्यालयीन संस्था में अध्ययनरत न होने के कारण योजना के तहत लक्ष्य अनुरूप विद्यार्थियों को लाभान्वित नहीं किया जा सका है।

अतः सत्र 2017–18 हेतु निर्णय लिया गया है, कि लक्ष्य से अधिक विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किया जाये ताकि लक्ष्य की सीमा में मेरिट की वरिष्ठता के विद्यार्थी योजना की पात्रता की शर्तों के अनुरूप आवश्यक प्रमाण पत्र न रखतें हैं तो छ.ग. के मूल निवासी, स्थायी जाति प्रमाण पत्रधारी व शाला/ महाविद्यालयीन संस्था में अध्ययनरत मेरिट के अगले क्रम के विद्यार्थियों को लाभान्वित कर योजना के तहत लक्ष्य की प्राप्ति किया जा सके।

योजना की जानकारी, आवेदन पत्र प्रारूप कक्षावार/वर्गवार/बोर्डवार मेरिट सूची, जिला शिक्षा अधिकारियों के पते व mail Add स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाईट eduportal.cg.nic.in/ तथा schoolscholarship.cg.nic.in स्कूल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय व संबंधित हाई/हायर सेकण्डरी शालाओं से प्राप्त की जा सकती है।

– प्रोत्साहन राशि प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण सूचना/आवश्यक जानकारी –

1. आवेदन की समयसीमा– 31/10/2017 (इक्कतीस अक्टूबर दो हजार सत्रह) ।
2. आवेदन जमा करने का स्थान – संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ।
3. निश्चित समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा ।
4. आवेदन पत्र प्रारूप वेब साइट से सीधे डाउनलोड कर/प्रारूप अनुसार टंकित कर/प्रारूप अनुसार हाथ से लिखे आवेदन जमा किए जा सकते है।
5. पूर्ण भरे गये आवेदन व वर्तमान में अध्ययनरत शाला/महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख का प्रमाणीकरण के साथ आवेदन निर्धारित समय सीमा में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा ।
6. आवेदन पत्र में उल्लेखित आवश्यक अभिलेख के तहत् स्थायी जाति व मूल निवासी प्रमाणपत्र अंकसूची की छायाप्रति व पासबुक में खाता क्रमांक पृष्ठ की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेगें।
7. खाता क्रमांक की जानकारी हेतु पासबुक की छायाप्रति के स्थान पर बैंक से प्रमाणित खाता नंबर व **IFS** कोड की जानकारी संलग्न की जा सकती है।
8. अपूर्ण व आवश्यक अभिलेख के अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा ।
9. कक्षा दसवीं एवं बारहवीं के मेरिट के विद्यार्थियों के आवेदन वर्तमान विद्यालय के प्राचार्य द्वारा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा।
10. कक्षा बारहवीं के मेरिट के विद्यार्थियों के आवेदन वर्तमान महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख/अभिभावक/विद्यार्थी द्वारा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा।
11. कक्षा 12वीं की ऐसे विद्यार्थी जो बाहर अध्ययनरत है, उनके आवेदन वर्तमान अध्ययनरत महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित पश्चात् आवश्यक अभिलेखों के साथ स्कैन कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के Mail Id पर उपलब्ध किया जा सकता है। जिला शिक्षा अधिकारियों के Mail ID पोर्टल पर फोन नंबर के साथ उपलब्ध कराये जावेगें।
12. लक्ष्य की सीमा में मेरिट में स्थान रखने वाले विद्यार्थियों से निर्धारित समय में आवेदन प्राप्त न होने अथवा अपूर्ण आवेदन होने पर मेरिट के अगले विद्यार्थियों के आवेदन पर विचार किया जावेगा ।
13. विद्यार्थी की पूर्व शाला के संबधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन शाला के प्राचार्य अथवा विद्यार्थी जमा करेंगें।
14. प्रोत्साहन की राशि आवेदन मे जानकारी अनुसार पात्र विद्यार्थियों के खातें में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा हस्तांतरित की जावेगी ।

संचालक,
लोक शिक्षण संचालनालय,
नया रायपुर (छ.ग.)